



RBI के आकांक्षात्मक लक्ष्य

प्रलम्ब के लिये:

[RBI](#), [पूंजी खाता](#), [भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण](#), [पूंजी खाता परिवर्तनीयता](#), [अनवासी जमा](#), भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक ब्रांड, डिजिटल भुगतान प्रणाली, [UPI](#), [RTGS NEFT](#), [केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा \(e-Rupee\)](#), [वैश्वीकरण](#), [गफिट सर्टि](#), [मौद्रिक नीति ढाँचा](#), [जलवायु परिवर्तन पहल](#), [रुपया मसाला बाँण्ड](#)

मेन्स के लिये:

[पूंजी खाता उदारीकरण](#) और [INR अंतरराष्ट्रीयकरण](#) में चुनौतियाँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रिज़र्व बैंक \(RBI\)](#) ने भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये कई आकांक्षात्मक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है, जिसका लक्ष्य है कि जब तक यह अपने शताब्दी वर्ष, [आरबीआई@100](#) तक पहुँचे, तब तक इसे "भवष्य के लिये तैयार" किया जाए।

RBI के आकांक्षात्मक लक्ष्य क्या हैं?

- **पूंजी खाता उदारीकरण और INR अंतरराष्ट्रीयकरण:**
 - [पूंजी खाता परिवर्तनीयता](#): पूर्ण [पूंजी खाता परिवर्तनीयता](#) का प्रस्ताव, जिससे पूंजी लेनदेन के लिये रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच मुक्त परिवर्तन की अनुमति मिल सके।
 - [रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण](#): गैर-निवासीयों को सीमा पार लेनदेन के लिये रुपए का उपयोग करने में सक्षम बनाना तथा भारत से बाहर के व्यक्तियों के लिये रुपया खाता पहुँच को बढ़ाना।
 - [कैलिबरेटेड ब्याज-असर वाली गैर-निवासी जमा राशियाँ](#): गैर-निवासीयों के लिये [ब्याज-असर वाली जमा राशियाँ](#) के प्रति सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना।
 - [भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक ब्रांडों को बढ़ावा देना](#): भारतीय बहुराष्ट्रीय नगियों द्वारा विदेशी निवेश को समर्थन देना।
- **डिजिटल भुगतान प्रणाली का सार्वभौमिकरण:**
 - [घरेलू और वैश्विक वसितार](#): भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों ([UPI](#), [RTGS NEFT](#)) के उपयोग को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वसितारित करना तथा भुगतान प्रणालियों को अन्य देशों से जोड़ना।
 - शुरुआती बटु [भारतीय भुगतान प्रणालियों](#) को अन्य देशों के साथ एकीकृत करना हो सकता है।
 - [केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा \(e-Rupee\)](#): [e-Rupee](#) का चरणबद्ध कार्यान्वयन।
- **भारत के वित्तीय क्षेत्र का वैश्वीकरण:**
 - [घरेलू बैंकिंग वसितार](#): बैंकिंग क्षेत्र के विकास को राष्ट्रीय आर्थिक विकास के साथ संरेखित करना।
 - [शीर्ष वैश्विक बैंक](#): इसका लक्ष्य आकार और परिचालन के संदर्भ में शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों में 3-5 भारतीय बैंकों इस श्रेणी के अंतर्गत लाना है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को [ग्लोबल साउथ](#) के एक आदर्श केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करना है।
 - [गफिट सर्टि के लिये समर्थन](#): [गफिट सर्टि](#) को एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने में [अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण \(International Financial Services Centres Authority- IFSCA\)](#) की सहायता करना।
- **मौद्रिक नीति रूपरेखा की समीक्षा:**
 - [संतुलन कार्य](#): उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से [मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास](#) के बीच संतुलन को संबोधित करना।
 - [नीति संचार](#): [मौद्रिक नीति](#) संचार को परिष्कृत करना तथा महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में ऋण के प्रभाव को कम करना।
- [जलवायु परिवर्तन पहल](#): [परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के तनाव परीक्षण](#) के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना, [जलवायु जोखिमों के वरिद्ध भुगतान प्रणालियों](#) को मज़बूत करना तथा [जलवायु जोखिमों](#) के लिये प्रकटीकरण मानदंड और सरकारी वर्गीकरण का प्रस्ताव करना।
- [लघु एवं मध्यम अवधि के उपाय](#):

- व्यापार व्यवस्था: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार चालान, नपिटान तथा रुपए के साथ-साथ स्थानीय मुद्राओं में भुगतान के लिये आवश्यक दृष्टिकोण का मानकीकरण।
- वित्तीय बाज़ार को सुदृढ़ बनाना: वैश्विक रुपया बाज़ार को बढ़ावा देना और वैदेशी पोर्टफोलियो निवेशक व्यवस्था को पुनः संतुलित करना।
- रुपया मसाला बॉण्ड: रुपया मसाला बॉण्ड पर करों की समीक्षा।
- वैश्विक बॉण्ड सूचकांक: वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी बॉण्ड को शामिल करना।

रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण की दशा में कदम:

- गफिट सट्टी में वक़ास
- एशियाई क्लियरिंग यूनियन (Asian Clearing Union- ACU), एक क्षेत्रीय भुगतान व्यवस्था है जो अपने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय आधार पर व्यापार लेनदेन के नपिटान की सुविधा प्रदान करती है। ACU में वर्तमान में 13 देश सदस्य हैं, भारत भी ACU का सदस्य है।
- मार्च 2023 में RBI ने 18 देशों के साथ रुपया व्यापार नपिटान की व्यवस्था लागू की।
 - इन देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान नपिटाने हेतु वैश्विक वास्ट्रो रुपया खाते (Special Vostro Rupee Accounts-SVRA) खोलने की अनुमति दी गई है।
- जुलाई 2022 में RBI ने “भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नपिटान” पर एक परपत्र जारी किया।
- RBI ने रुपए में बाह्य वाणज्यिक उधार (वैश्विक रूप से मसाला बॉण्ड) को सक्षम किया।

नरसमिहम समिति:

- डॉ. मनमोहन सहि ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण और सुधारों की सफ़ारिश करने हेतु वर्ष 1991 में नरसमिहम समिति की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1998 में नरसमिहम समिति गठित की गई जिसे नरसमिहम समिति II के नाम से जाना जाता है।
- नरसमिहम समिति-I की सफ़ारिशें:
 - भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिये 4-स्तरीय पदानुक्रम जिसमें शीर्ष पर 3 या 4 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अंतमि में कृषि गतिविधियों के लिये ग्रामीण विकास बैंक होंगे।
 - बैंकों और वित्तीय संस्थानों की नगिरानी के लिये RBI के अधीन एक अर्ध-स्वायत्त निकाय।
 - वैधानिक तरलता अनुपात में कमी
 - पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8% तक पहुँचना
 - संपत्ति पुनर्निर्माण नधि की स्थापना
- नरसमिहम समिति-II की सफ़ारिशें:
 - मज़बूत बैंकिंग प्रणाली: समिति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वलिय की सफ़ारिश की। हालाँकि, समिति ने कमज़ोर बैंकों के साथ मज़बूत बैंकों के वलिय के खिलाफ चेतवनी दी।
 - RBI की भूमिका में सुधार: समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में RBI की भूमिका में सुधार की भी सफ़ारिश की। समिति ने अनुभव किया कि RBI एक नियामक निकाय है, इसलिए इसे किसी भी बैंक में स्वामित्व नहीं रखना चाहिये।
 - NPA: समिति चाहती थी कि बैंक वर्ष 2002 तक अपने NPA को घटाकर 3% पर लाएँ। इसने परसंपत्ति पुनर्निर्माण नधि या परसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के गठन की भी सफ़ारिश की।
 - वैदेशी बैंक: इस समिति के द्वारा वैदेशी बैंकों के लिये न्यूनतम स्टार्ट-अप पूंजी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर करने का भी प्रस्ताव किया गया।

तारापोर समिति:

- RBI ने 1997 में तारापोर समिति की नियुक्ति की थी। समिति का गठन पूंजी खाता लेनदेन के प्रगतशील उदारीकरण के उद्देश्य से किया गया था।
 - इसने सुझाव दिया कि पूर्ण परिवर्तनीयता तीन चरणों में प्राप्त की जानी चाहिये और यह प्रक्रिया कुछ महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्तों एवं संकेतकों के अधीन होनी चाहिये।
 - इसके द्वारा प्रत्यक्ष वैदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश तथा वनिवेश के लिये RBI की पूर्व स्वीकृति समाप्त कर दी गई।
 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को स्थानीय और वैदेशी स्वरण बाज़ारों में कारोबार करने की अनुमति दी गई।
 - FII, NRI, अनविासी बैंकों को वायदा वनिमिय बाज़ारों में प्रवेश की अनुमति दी गई।
 - वित्तीय संस्थाओं को पूर्णतः अधिकृत डीलर बनने की अनुमति दी गई।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

अर्थ

- सीमा पार हस्तांतरण में भारतीय रुपए के उपयोग में वृद्धि करना

इसमें शामिल है

- आयात और निर्यात के लिये रुपए का उपयोग
- चालू और पूंजी खाता हस्तांतरण के लिये रुपए का उपयोग

भारतीय रुपया चालू खाते में पूरी तरह से लेकिन पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है।

आवश्यकता

- अमेरिका द्वारा अमेरिकी डॉलर का हथियारीकरण (प्रतिबंधों के लिये)
- डी-डॉलराइजेशन की लहर
- चीनी मुद्रा रॉमिन्बी का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीयकरण
- वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार में भारत की न्यूनतम हिस्सेदारी (1.7%)

RBI के प्रयास

- सीमा-पार व्यापार में भारतीय मुद्रा - विदेश व्यापार नीति 2023 में प्रमुख घटक
- 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार समझौते हेतु तंत्र प्रस्तुत किया गया
 - इन देशों के बैंकों को विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs) खोलने की अनुमति दी गई
- "भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता" पर परिपत्र (2022)
- भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार को सक्षम बनाया गया

महत्त्व

- अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भरता
- विदेशी मुद्रा भंडार रखने की कम आवश्यकता
- भारतीय व्यापार की बेहतर सौदा निपटान शक्ति
- मुद्रा की अस्थिरता का कम जोखिम

चुनौतियाँ

- रुपया का पूरी तरह से परिवर्तनीय न होना
- अन्य देशों को भारतीय रुपया (INR) रखने की कम आवश्यकता; वैश्विक निर्यात में भारत की कम हिस्सेदारी
- बाह्य आघातों के प्रति रुपया और अधिक संवेदनशील हो सकता है
- रुपए की आपूर्ति पर भारत का कम नियंत्रण

उठाए जा सकने योग्य कदम

- INR में अधिक उदारीकृत निपटान (भारत और विदेशों में)
- भारत को वैश्विक वित्तीय बाजार में अपनी पहुँच का विस्तार करना चाहिये
- व्यापार घाटे को कम करने के लिये निर्यात-उत्मुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना



//

RBI के आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- ट्रफिनि दुवधि:** यह किसी देश के घरेलू मौद्रिक नीति लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय आरक्षण मुद्रा जारीकर्त्ता के रूप में उसकी भूमिका के बीच संघर्ष का वर्णन करता है।
 - ट्रफिनि दुवधि** भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और रुपए की वैश्विक मांग को पूरा करने के बीच संघर्ष के रूप में प्रकट हो सकती है।
- वनिमिय दर में अस्थिरता:** मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिये जारी करने से इसकी वनिमिय दर में अस्थिरता बढ़ सकती है, मुख्यतौर पर शुरुआती चरणों में उतार-चढ़ाव व्यापार और नविश को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- निर्यात पर प्रभाव:** रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से वैश्विक बाजारों में मुद्रा की मांग बढ़ेगी, जिससे भारतीय निर्यात महंगा हो सकता है।
- सीमिति अंतर्राष्ट्रीय मांग: वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए का** दैनिक औसत भाग केवल 1.6% के निकट है, जबकि वैश्विक वस्तु व्यापार में भारत का हिस्सेदारी लगभग 2% है। मुख्य चुनौती वर्तमान प्रतस्पर्द्धी वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
- परिवर्तनीयता संबंधी चिंता:** पूंजीगत लेनदेन के लिये भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में इसके व्यापक उपयोग को प्रतर्बिधति करेगा।
- साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे:** डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ साइबर हमलों के प्रतसंवेदनशील हैं, जिससे धोखाधड़ी और धन की हानि हो सकती है। वशिवास बनाने के लिये उपयोगकर्त्ता डेटा की सुरक्षा और लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती

